

भाग-3  
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>नहीं</p>
<p>15-क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में बी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत है।</p>	<p>हाँ</p>
<p>16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रजातीय वनोपेक्षा के अभाव में इसकी स्वीकृति/रिजिस्ट्री से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रस्ताव निरस्त करने की सिफारिश की जाती है।</p> <p>दिनांक- 07/10/2016</p> <p>स्थान- फैजाबाद</p> <p>हस्ताक्षर (ओ.पी. सिंह)</p> <p>सरकारी मोहर- मुख्य वन संरक्षक प्रजातीय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सांवा, सरयू वृत्त, उ०प्र०, फैजाबाद।</p>